MINISTÈRE
DE L'EUROPE
ET DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
ET DE LA MODERNISATION
_____
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
_____
Bureau des concours et examens professionnels

CONCOURS EXTERNE ET INTERNE POUR L'ACCÈS AU CORPS DES ADMINISTRATEURS DE L'ÉTAT DÉNOMMÉS « CONCOURS D'ORIENT » AU TITRE DE L'ANNÉE 2023

ÉPREUVES ÉCRITES D'ADMISSIBILITÉ

Mercredi 7 septembre 2022

HINDI

Durée totale de l'épreuve : 3 heures
Coefficient : 2
Toute note inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire
Barème de notation : composition en hindi 12 points ; traduction en français 8 points

TRADUCTION EN FRANÇAIS

Traduction en français d'un texte rédigé en hindi

TEXTE AU VERSO

भारत-पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते की अहमियत समझिए

शकील अख्तर, बीबीसी संवाददाता, BBC Hindi 8.06.22

भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु-तास (बेसिन) समझौते [Indus Waters Treaty] के तहत ज़रूरी घोषित किए गए स्थायी सिंधु आयोग (पी.आई.सी.) की बैठक बीते सप्ताह दिल्ली में हुई जिसमें पाकिस्तान और भारत के सिंधु जल आयुक्तों ने हिस्सा लिया. बीते क़रीब 62 सालों में सिंधु आयोग की 118वीं बैठक थी. इससे पहले यह बैठक मार्च 2022 में पाकिस्तान में हुई थी.

भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच कई साल चली वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु-तास समझौता सितंबर 1960 में हुआ था.

उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के नेता जनरल अय्यूब ख़ान ने कराची में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे.

यह उम्मीद की गई थी कि यह समझौता दोनों देशों के किसानों के लिए ख़ुशहाली लाएगा और शांति, सुरक्षा और दोस्ती की वजह बनेगा.

नदियों को बाँटने का यह समझौता कई युद्धों, मतभेदों और झगड़ों के बावजूद 62 सालों से अपनी जगह क़ायम है.

भारत के पूर्व जल संसाधन मंत्री सैफ़ुद्दीन सोज़ कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले सभी समझौतों में यह सबसे कामयाब और प्रभावशाली समझौता है.

सिंधु-तास समझौते के तहत पश्चिमी नदियों यानी झेलम, सिंध और चेनाब का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है. इसके तहत इन नदियों के अस्सी फ़ीसदी पानी पर पाकिस्तान का हक़ है.

भारत को इन नदियों के बहते हुए पानी से बिजली बनाने का हक़ है लेकिन पानी को रोकने या नदियों की धारा में बदलाव करने का हक़ नहीं है. पूर्वी नदियों यानी रावी, सतलुज और ब्यास का नियंत्रण भारत के हाथ में दिया गया है. भारत को इन नदियों पर प्रोजेक्ट वग़ैरह बनाने का हक़ हासिल है, जिन पर पाकिस्तान विरोध नहीं कर सकता है.

इस आयोग के सदस्य बारी-बारी से एक बार भारत और एक बार पाकिस्तान में बैठक करते हैं. इन बैठकों में सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं. इनकी ये बैठकें बेहद अहम होती हैं. इन बैठकों में वे बाढ़ के आँकड़े, परियोजना विवरण, जल प्रवाह और वर्षा की स्थिति जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं.